रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1970/फाल्गुन 11, 1891
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1970/PHALGUNA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 2nd March 1970

G.S.R. 392.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 232-Customs, dated the 23rd November, 1963:—

In the said notification, for the words, figures, letter and brackets, "as is leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934)", the following shall be substituted, namely:—

"leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is equivalent to the duty of excise for the time being leviable under sub-section (1) of section 12 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), on rubber produced in India."

[No. 30/F.No. Bud(Cus)/70.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1970

सा० का० नि० 392:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 232–सीमा शुल्क, तारीख 23 नवम्बर, 1963 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना में, "उतने सीमा शुल्क से छूट देती है जितना कि उस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से छूट देती है जितना कि भारत में उत्पादित रबर पर, रबर अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की की उपधारा (1) के अधीन तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य है।"

[सं० 30/फा० सं० बजट (सीमा शुल्क)/70]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970